

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
की तालीम में जारी हुये

मूल शर्तना पत्र तथा अंतरिम अहपापी निर्धारण का अहपापी  
में विरोध नहीं दिया है। उपरोक्त रेकर्ड के अनुसार प्रस्ताव  
शर्तना पत्र सहायक है व अहपापी में शर्तना पत्र  
पर विपरीत स्वरूप प्रस्तुत नहीं की है जैसी स्थिति में प्रथम  
दस्तावेज प्रामाण्य, सुविधा संतुलन व अप्रत्यूष शर्तना के विन्दु  
शर्तना के पक्ष में लय दिए जाते हैं तथा अंतरिम अहपापी  
निर्धारण की तार्किकता प्रत्येक कर्म विना जात है।

-:: आदेश ::-

शर्तना पत्र स्वीकार कर न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम  
अहपापी निर्धारण दिनांक 31-10-2011 को तार्किकता प्रत्येक  
कर्म (अहपापी) विना जात है। उपरोक्त उक्तानुसार पाठ्य दस्तावेज।

(मुयारी लाल शर्मा)  
उपरोक्त अधिकारी  
लाहौर

त्रिपु आत्र दिनांक 10.5.2017 को न्याय कार्य के अंतर्गत  
में उपस्थित मजमे काम में सुनना कथा।

(मुयारी लाल शर्मा)  
उपरोक्त अधिकारी  
लाहौर

मिस्टर दि...

24/17

पत्रावली पेश हुई  
P.O. साहय अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त  
होने के कारण पत्रावली आगामी  
दिनांक 23/5/17 को पेश हो।

1/5/17

प्राथी व उपाय वकील उपस्थित/अनुपस्थित  
विपक्षी उपस्थित/अनुपस्थित  
प्रकरण को लोक अदालत में रेफर करन  
हेतु दोनों पक्ष सहमत हैं। अतः प्रकरण  
लोक अदालत में रेफर किया जाता है।  
पक्षकारान् दिनांक 10/5/17 को  
लोक अदालत के समक्ष उपस्थित रहे।

10/5/17

पत्रावली - पाय कार्ड द्वारा क्षत्रियान डेम्प रोजू मे' पेश हुई  
वकील प्राथी उपर।

कहस सुनी गयी तथा वेकड का अक्लेक दिपा गणा।

सरहद मौजा रोजू तल्ली (कडर) के क्षत्रिय स्वतन्त्र नम्बर 691, 714, 747

738 पर क्षत्रियानी निर्बंधाजा जमी इरन ही प्राथी इस्तदुमा इर राही।

उक्त में दिनांक 31-10-2011 से अंतरिम क्षत्रियानी निर्बंधाजा पारित है।

स. मु. जे. - 149-2004-2 00.000 म.